उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-103/2019/1580/92-2-2019-38एम/2018
लखनऊ :: दिनांक:: 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली में कार्यरत रहने के दौरान अनियमित ढंग से निविदायें आमंत्रित किये जाने तथा निर्माण कार्यो में शिथिल नियंत्रण एवं भ्रष्ट कार्य प्रणाली के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-135/2018/2487/92-2-18-38 एम/ 2018 दिनांक 15.10.2018 द्वारा श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-रायबरेली के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या के पत्र सं0-91/ग्रा0अ0वि0/अधि0अभि0/जांच-रायबरेली/18-19 दिनांक 10.04.2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में जांच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी को मौखिक सुनवाई/व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये जाने का उल्लेख न होने के कारण शासन के पत्र सं0-862/92-2-19-38एम/2018 दि0 08.05.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री सचान को मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देते हुये पुर्न जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या द्वारा पत्रांक-568/दि0 28.05.2019 से दि0 03.06.2019 को प्रात: 11.00 बजे अपने कार्यालय कक्ष में मौखिक/व्यक्तिगत सुनवाई का समय निर्धारित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री सचान के पत्र दिनांक 29.05.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा पूर्व में दि0 31.03.2019 को प्रेषित किया गया बचाव उत्तर को ही अंतिम उत्तर माना जाय। जांच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, परि0-अयोध्या के पत्र सं0-639/ग्रा0अ0वि0/अधि0अभि0/ जांच-रायबरेली/18-19 दिनांक 01.04.2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुर्न जांच आख्या में उल्लिखित किया गया कि उनके द्वारा पूर्व प्रेषित जांच आख्या दिनांक 10.04.2019 को अंतिम जांच आख्या माना जाय।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अयोध्या की जांच आख्या दि0 10.04.2019 में आरोप सं0-1 स्थापित न होने तथा आरोप सं0-2 व 3 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने की स्थिति में शासन के पत्र सं0-1199/92-2-19-38एम/2018 दि0 13.06.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली,1999 के नियम-9(4) में निहित व्यवस्था के अंतर्गत जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-अयोध्या की जांच आख्या दि0 10.04.2019 व 01.06.2019 की प्रति अपचारी अधिकारी, श्री सचान को प्रेषित करते हुये उनका लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-334/ग्रा0अ0वि0/अभ्यावेदन/19-20 दि0 27.06.2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी, श्री सचान पर जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-अयोध्या की जांच आख्या दि0 10.04.2019 में आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-2 व 3 तथा उक्त के संबंध में अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन का विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आरोप सं0-2

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली के आदेश सं0-2103 दिनांक 31.05.2018 द्वारा कुल 23 कार्यो की मात्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जबकि आप द्वारा अपने ई-प्रक्योरेमेंट निविदा आमंत्रण सं0-1217/ग्रा0अ0वि0/निविदा आमंत्रण/2018-19 दि0 26.06.2018 द्वारा कुल 39 कार्यो की निविदा आमंत्रित की गई, जिसमें सांसद निधि के 32 कार्य, जिला योजना, क्रिटिकल गैप्स योजना के तीन कार्य एवं खेलो इण्डिया के 4 कार्य शामिल थे, जिससे स्पष्ट है कि कुछ कार्यो के तीन कार्य एवं खेलो इण्डिया के 4 कार्य शामिल थे, जिससे स्पष्ट है कि कुछ कार्यो का बिना धन उपलब्ध हुये ही निविदा आमंत्रित की गई है, जबकि नियमानुसार संबंधित कार्यकी धनराशि प्रखण्ड में प्राप्त होने के उपरांत तथा संबंधित कार्य की स्वीकृति होने के उपरान्त ही निविदा प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के पैरा 375 एवं Office of the Engineer-in-chief, uttar Pradesh sarvajanik nirman nh section no. 14 in/85-3 General instruction file Date 12.07.1985 द्वारा निर्गत प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघनकरने के लिये आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

निविदा सूचना संख्या-1217/दि0 26.06.2018 में कुल 39 कार्यो की ई-निविदायें मांगी गयी थी। इन सभी कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली के पत्रांक-2018/दि0 31.05.2018 को स्वीकृति होने पर तथा कुछ सांसद निधि के कार्य पूर्व में स्वीकृति, क्रिटिकल गैप्स एवं खेलो इण्डिया को सम्मिलित करते हुये कुल 39 कार्यो की जिलाधिकारी एवं सांसद रायबरेली के निर्देश पर धन आवंटन की स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी। क्रिटिकल गैप्स एवं खेलो इण्डिया का पैसा पूर्व में ही उपलब्ध था। स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा की प्रक्रिया प्राय: सभी इंजीनियरिंग विभागों में प्रचलन में है। संबंधित कार्यो की केवल निविदा प्रक्रिया ही प्रारम्भ की गई थी तथा कार्य के प्रारम्भ करने संबंधित कोई आदेश नहीं दिये गये थे।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 प्रस्तर-375 के अनुसार किसी भी कार्य के प्रारम्भ करने के आदेश देने से पूर्व कार्य हेतु धन उपलब्ध होना चाहिये। प्रकरण में न ही कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया गया न अनुबंध किये गये क्योंकि उक्त निविदाओं को पूर्व में ही दि0 25.07.2018 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। साथ् ही समस्त कार्यो की वित्तीय स्वीकृति भी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दि0 05.11.2018, दि0 17.11.2018 तथा पत्र दि0 20.12.2018 द्वारा प्राप्त हो गई। यदि इस निविदा के क्रम में अनुबंध गठित किया गया होता तो भी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व धन उपलब्ध होता। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा प्रक्रिया को प्रारम्भ करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

जांच अधिकारी की आख्या/विवेचना

श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-रायबरेली के ऊपर यह आरोप है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली के आदेश दि0 31.05.2018 द्वारा कुल 23 कार्यो की मात्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जबकि आप द्वारा अपने ई-प्रोक्योरमेंट निविदा आमंत्रण सं0-1217/ग्रा0अ0वि0/निविदा आमंत्रण/2018-19 दि0 26.06.2018 द्वारा कुल 39 कार्यो की निविदा आमंत्रित की गई जिसमें सांसद निधि के 32 कार्य जिला योजना/क्रिटिकल गैप्स योजना के 03 कार्य एवं खेलो इण्डिया के 04 कार्य शामिल थे जिससे स्पष्ट है कि कुछ कार्यो के बिना धन उपलब्ध हुये ही निविदा आमंत्रित की गयी है जबकि नियमानुसार संबंधित कार्य की धनराशि प्रखण्ड में प्राप्त होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के उपरान्त तथा संबंधित कार्य्र की स्वीकृति होने के उपरांत ही निविदा प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है जिसके परिप्रेक्ष्य में श्री सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये अपने बचाव उत्तर के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिशासी अभियंता द्वारा अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है कि निविदा सूचना सं0-1217 दि0 26.06.2018 में कुल 39 कार्यो की ई-निविदायें मांगी गयी थी। इन सभी कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली के पत्रांक-2018 दि0 31.05.2018 को स्वीकृत होने पर तथा कुछ सांसद निधि के कार्य पूर्व में स्वीकृति, क्रिटिकल गैप्स एवं खेलो इण्डिया को सम्मिलित करते हुये कुल 39 कार्यो की जिलाधिकारी एवं सांसद रायबरेली के निर्देश पर धन आवंटन की स्वीकृत की प्रत्याशा में निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी। क्रिटिकल गैप्स एवं खेलो इण्डिया का पैसा पूर्व में ही धन उपलब्ध था। स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा की प्रक्रिया प्राय: सभी इंजीनियरिंग विभागें में प्रचलन में संबंधित कार्यो की केवल निविदा प्रक्रिया ही प्रारम्भ की गयी थी। तथा कार्य के प्रारम्भ करने संबंधित कोई आदेश नही दिये गये थे।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 प्रस्तर-375 के अनुसार किसी भी कार्य के प्रारम्भ करने के आदेश देने से पूर्व कार्य हेतु धन उपलब्ध होना चाहिये। अधिशासी अभियंता, रायबरेली द्वारा न ही कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिया गया और न ही अनुबंध गठित किये गये क्योंकि उक्त निविदाओं को पूर्व में ही दि0 25.07.2018 द्वारा निरस्त किया जा चुकाहै। साथ ही साथ यह भी उल्लेखनीय है कि समस्त कार्यो की वित्तीय स्वीकृति भी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा दि0 05.11.2018 दि0 17.11.2018 तथा पत्रांक-7374 दि0 20.12.2018 द्वारा प्राप्त हुई है जिसमें से मात्र 23 कार्यकी धनराशि प्राप्त हो चुकी थी। उनकी निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की गयी थी। परन्तु मात्र 09 कार्य जिनकी धनराशि अप्राप्त थी। कार्यहित में निविदा धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में कर ली जातीजो नही की गई है। अत: 9 कार्यो पर बिना विभाग को धनराशि प्राप्त हुये ही टेण्डर आमंत्रित किया जाना तकनीकी/नैसर्गिक नियमों के विरूद्ध है। श्री सचान अधिशासी अभियंता पर यह आरोप आंशिक रूप से स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

उपरोक्त आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि दि0 26.06.2018 को जिन 39 कार्यो की निविदायें मांगी गयी थी, इन सभी कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा पत्र दि0 21.05.2018 द्वारा एवं जिलाधिकारी के पत्र सं0-1939, 2091, 120, 7374, 7326, 6825, 6984, 6689 के द्वारा स्वीकृत कर धन आवंटन किया गया। खेलो इण्डिया एवं क्रिटिकल गैप योजना के कार्यो की स्वीकृति एवं धन आवंटन भी प्राप्त था।

सांसद निधि के कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति कार्यो की लागत सहित स्वीकृत की गयी है। इन कार्यो हेतु धन सांसद निधि मद में उपलब्ध था, जिसे जिलाधिकारी, रायबरेली ने अपने पत्रांक-2103 द्वारा जिलाधिकारी सब अरबन जिला बान्द्रा ईस्ट, मुम्बई को उपरोक्त 23 कार्यो की धनराशि रू0 दो करोड पचहत्तर लाख तीस हजार पांच सौ आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया था, जिससे स्पष्ट है कि इन सभी कार्यो की सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता सुनिश्चित थी। डिपाजिट वर्क में जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति (कार्य की लागत के साथ) तभी प्रदान की जाती है जब स्वीकृत कार्यो हेतु धन उपलब्ध रहता है जैसा कि जिलाधिकारी के पत्रांक-2103 से स्पष्ट है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-375 के कार्य के प्रारम्भ करने के आदेश देने के पूर्व अर्थात अनुबंध बनाने तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि देने पर प्रतिबंध है। मात्र निविदायें आमंत्रित करने पर प्रतिबंध नही है। धन आवंटन की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया प्राय: सभी विभागों में प्रचलित है। उदाहरण स्वरूप अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या, अम्बेडकर नगर वृत्त लोक निर्माण विभाग, अयोध्या का पत्रांक-761 दि0 11.02.2019 संलग्न है, जिसमें वर्ष 2019-20 हेतु बजट प्रत्याशा में निविदायें आमंत्रित की गयी।

आरोप संख्या-3

आप द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0-1626/ग्रा0अ0वि0/लेखा/2018-19 दिनांक 25.07.2018 द्वारा जो निविदा निरस्त की गई है, उसके संबंध में अधीक्षण अभियंता, परि0-लखनऊ से न तो कोई वार्ता की गई और न ही कोई सहमति की लगी। स्वच्छन्द कार्य प्रणाली के लिये आपको आरोपित किया जाता है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

कार्यालय ज्ञाप सं0-1627/ग्रा0अ0वि0/दि0 25.07.2018 द्वारा अपने विवेकानुसार एवं प्राप्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत निविदा को निरस्त किया गया है। निविदा की तिथि व समय के विषय में ज्ञात होने पर तत्का0 प्रखण्डीय लेखाधिकारी एवं उनके द्वारा अधीक्षण अभियंता से वार्ता की गई। निविदा निरस्तीकरण की कार्यवाही पर निर्णय अधिशासी अभियंता द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 के **Statement xviii** के क्रम सं0-02 पर प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत की गयी है।

जांच अधिकारी की आख्या/विवेचना

श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-रायबरेली पर यह आरोप है कि अधिशासी अभियंता द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप दि0 25.07.2018 द्वारा जो निविदा निरस्त की गई है, उसके संबंध में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ से न तो कोई वार्ता की गयी और न ही कोई सहमति न लेने के कारण स्वछन्द कार्य प्रणाली के लिये श्री सचान, अधिशासी अभियंता द्वारा प्रस्तुत किये गये अपने बचाव उत्तर एवं उसके साथ संलग्न किये गये साक्ष्यों/अभिलेखों के परीक्षण से विदित है कि अधिशासी अभियंता द्वारा अपने_प्रतिउत्तर दि0 31.03.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0-1627/ग्रा0अ0वि0/दि0 25.07.2018 से होती है द्वारा अपने विवेकानुसार एवं प्राप्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत निविदा को निरस्त किया गया है। निविदा की तिथि व समय के विषय में ज्ञात होने पर तत्का0 प्रखण्डीय लेखाधिकारी एवं मेरे द्वारा अधीक्षण अभियंता परि0 -लखनऊ से वार्ता की गई। निविदा निरस्तीकरण की कार्यवाही पर निर्णय अधिशासी अभियंता द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 **Statement xviii** के क्रम सं0-2 पर प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत की गई है। अत: उक्त टेण्डर प्रक्रिया श्री सचान अधिशासी अभियंता द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 **Statement xviii** के क्रम सं0-2 पर प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत अधीक्षण अभियंता से वार्ता के उपरान्त निरस्त किया गया है। श्री सचान अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने के लिये उच्चाधिकारी (अधीक्षण अभियंता) से अनुमोदन लिया गया है का कोई साक्ष्य प्रस्तुत/संलग्न नही किया गया है। अत: यह आरोप श्री सचान अधिशासी अभियंता के ऊपर आंशिक रूप से स्थापित होता है।

जांच का निष्कर्ष/परिणाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.10.2018 द्वारा श्री आर0के0 सचान, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-रायबरेली के विरूद्ध तीन आरोप संस्थित है, जिसके सापेक्ष श्री सचान, अधिशासी अभियंता द्वारा प्रस्तुत किये गये बचाव उत्तर एवं साक्ष्यों के परीक्षण/विवेचना के आधार पर आरोप संख्या-1 स्थापित नही पाया गया तथा आरोप संख्या-2 एवं 3 अभिलेखानुसार आंशिक रूप से स्थापित पाया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

उपरोक्त आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यालय ज्ञाप सं0-1626 दिनांक 25.07.2018 को जो निविदायें निरस्त की गयी थी वो उनके अपने विवेकानुसार एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 के **Statement xviii** के क्रम में सं0-2 पर प्रदत्त वित्तीय अधिकरों के अंतर्गत कार्यहित में निरस्त किया गया।

जांच अधिकारी द्वारा विवेचना में अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता द्वारा पूर्व अनुमोदन न लिये जाने का उल्लेख किया है। विषय गत निविदा दिनांक 26.06.2018में आमंत्रित की गयी थी जबकि अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन की प्रक्रिया शासनादेश दि0 30.07.2018 से लागू हुई है। अत दिनांक 26.06.2018 को इस प्रकार के कोई आदेश विदयमान नही थे। इस कारण अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने से पूर्व अधीक्षण अभियंता से अनुमति प्राप्त नही किया गया है।

साथ ही वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 प्रस्तर-357 में प्राविधान है कि " **If the amount of tender is likely to be beyond the Divisional Officer Power of acceptance or to be unsual character, he should before publically inviting tenders. Submit the contract documents to Superintending Engineer for approval or remarks, together with a copy of proposed advertisement for tenders."**

प्रस्तर-357 के अनुसार आमंत्रित निविदायें अधिशासी अभियंता को प्रदत्त स्वीकृत अधिकार सीमा 40 लाख से कम थी। अत: अधीक्षण अभियंता की पूर्व अनुमति की आवश्यकता दि0 26.06.2018 तक नहीं थी। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-360 बिन्दु-2 पर बडी लागत के कार्यो के लिये निविदा आमंत्रण में एक माह के समय का उल्लेख है परन्तु "डी" श्रेणी के छोटे कार्यो हेतु ऐसा कोई उल्लेख नही है। पूर्व में भी प्रखण्ड द्वारा प्रथम बार में बिना अधीक्षण अभियंता की अनुमति के अल्पकालीन निविदायें आमंत्रित की जाती रही है। इस प्रकार अधिशासी अभियंता द्वारा वित्तीय अधिकार सीमा के अंतर्गत आमंत्रित ई-निविदा में कोई अनियमितता नही है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरापित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि आरोप सं0-2 व 3 में जांच अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से उत्तरदायी बताये जाने के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के अनुसार उनके द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के प्रस्तर-375 में उल्लिखित व्यवस्था एवं अन्य विभागों की भांति परम्परागत प्रक्रिया के अंतर्गत धन आवंटन की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा आमंत्रण के समय अधीक्षण अभियंता की अनुमति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था शासनादेश दिनांक 30.07.2018 से लागू की गयी है जबकि प्रश्नगत निविदा दि0 26.06.2018 को आमंत्रित की गयी है। अतएव अपचारी अधिकारी पर जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-2 व 3 स्थापित नही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पाया गया है। अत: श्री आर0के0 सचान के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15-10-2018 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-103/2019/1580(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री आर0के0 सचान, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-रायबरेली सम्प्रति सम्बद्ध मुख्यालय द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।